



346/1

दूरभाष- 2286709
2286710

नव धराना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2952/05/76/एक/2016-17
सेवा में,

दिनांक : 16 सितम्बर 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एचडीएफसी बैंक	50100092871077	IFSC Code HDFC0002080	380.849

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	कल्यानपुर कला पार्ट-"के" में बम्बा रोड से पुरानी शिवली रोड तक, गोविन्द श्रीवास्तव के मकान से विनीता पाल के मकान तक, जयपाल सिंह के मकान से अकांक्षा ट्रेडर्स (शिवली रोड) तक, मुन्नी लाल के मकान से सरनलाल के मकान तक, पुरानी शिवली रोड से सरनलाल, राधा गौतम के मकान तक, राजन सिंह राठौर के मकान से छोटे लाल राठौर के मकान तक, सिरोमणि सिंह भदौरिया के मकान से आर० बी० यादव के मकान तक, उदयवीर सिंह के मकान से कप्तान सिंह के मकान तक, लालू गुप्ता के मकान से महेश कश्यप के मकान तक, अनिल कटियार के मकान से अजय भदौरिया के मकान तक, चन्द्र शेखर के मकान से जीतेन्द्र कुमार के मकान तक, विजय राजपूत के मकान से मिश्रा मेडिकल स्टोर तक, उदय आयुर्वेदिक से सुनील बाजपेयी, बाँके बिहारी लॉन तक एवं जय पाल सिंह सेंगर के मकान से सूबेदार सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	79.499
2	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	राणा प्रताप नगर विनायकपुर में जी० के० सक्सेना के मकान से देवीदीन के मकान तक, योगेश सिंह परमार (गुड़डू) के मकान से पी०पी० सिंह के मकान तक, निराम सवान के मकान से प्रशान्त सिंह के मकान तक, प्रशान्त सिंह के मकान से सुष्मा भदौरिया के मकान तक, सृजन सिंह परुहार के मकान से जय पाल सिंह के मकान तक, सुखदेव के मकान से हर गोविन्द सिंह यादव के मकान तक, अभिषेक मिश्रा के मकान से पप्पू यादव के मकान, एन० एस० यादव के मकान तक, अर्जुन सिंह चौहान के मकान से नीरज वर्मा के मकान तक, राकेश कुमार श्रीवास्तव के मकान से श्री राम राज सोनकर के मकान तक, विजय लक्ष्मी के मकान से केशव एजूकेशन सेन्टर तक, सत्य प्रकाश के मकान से रमाकान्त गुप्ता के मकान तक एवं अभिनव सेवा	73.894



306/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
				संस्थान से राम राज सोनकर के मकान, राकेश सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
3	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"ए" में भुवनेश्वर महादेव मन्दिर (पुरानी शिवली रोड) से सैनिक जनरल स्टोर (गुबा क्रॉसिंग रोड) में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.068
4	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"बी" में ओम प्रकाश शुक्ला के मकान से डा० आर० के० सिंह की क्लिनिक तक गली नं० 01, 02, 03 व 04 में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.712
5	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"सी" में उमेश यादव के मकान से किशन के मकान तक, मुन्नी देवी के मकान से लक्ष्मी राठौर के मकान तक एवं प्रधान जी के मकान से चन्द्रिका बाजपेयी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.447
6	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"डी" में अनिल मिश्रा के मकान से धनन्जय तिवारी के मकान तक, ललित पाल के मकान से राम सेवक पाल के मकान तक एवं श्रवण कुमार के मकान से रामेश्वर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.802
7	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"ई" में अखिलेश सिंह के मकान से बालाजी आटा चक्की, के० सी० पाल एण्ड रंजित यादव के मकान, राज कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.100
8	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"एफ" में डी० आर० सोनकर से ग्राम समाज की भूमि तक तिरछे आकार एरिया से गुड्डू बाजपेयी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.702
9	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"जी" में राम औतार के मकान से हनुमान गढी तक एवं ओम प्रकाश शुक्ला के मकान तक लखन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.475
10	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"एच" में डा० आर० के० सिंह के मकान से राम कुमार दीक्षित के मकान तक, रामकुमार दीक्षित के मकान से मास्टर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.091
11	कानपुर नगर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०नि० कानपुर	न्यू अशोक नगर बस्ती पार्ट-"आई" में के० एल० राठौर के मकान से दिनेश यादव के मकान तक, जय नारायण के मकान से विवेक यादव के मकान तक एवं शत्रुघन मोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.142



246/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
12	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	सैय्यद नगर पार्ट-ए में नूरी मस्जिद से ब्राइट मेडिकल स्टोर से सली खान के मकान से मोहम्मद अशरफ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.579
13	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	सैय्यद नगर पार्ट-बी में मोहम्मद मुस्तफा के मकान से स्वामी अखण्डानन्द स्कूल तक एवं राजा के मकान से रफीक के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.959
14	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोविन्द नगर विधानसभा के अन्तर्गत रोशन नगर पार्ट-सी में मदीना मस्जिद से पलक धुलाई शॉप तक एवं मोहम्मद अशफाक के मकान से के०बी० सिंह के मकान तक, रहमान के मकान से नन्हके कबाड़ीवाला के शॉप तक, न्यूरो साइन्स हास्पिटल से राज कुमार सिंह के मकान तक, स्ट्रीट बी साईड बकाउल्लाह के मकान, चंगेज खान के मकान से बिहाइन्ड मदीना मस्जिद तक, औशाक के मकान से ए०एम० खान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	59.267
15	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	सहकार नगर पार्ट-बी में राजे टेलीकॉम से मस्त्वानपुर टेनरी तक, संतोष शर्मा के मकान से मुन्नू छत्ता के मकान तक, आर०के० सिंह के मकान से एस०पी०पाल के मकान तक, मोहन के मकान से हबीब के मकान तक, इजहार के मकान से तस्लीम खान के मकान तक एवं हबीब उल्लाह के मकान एवं नियर बाई लेन में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	21.909
16	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोविन्द नगर विधानसभा के अन्तर्गत यूनाईटेड नगर पार्ट-सी में जावित्री देवी के मकान से कच्चा नाला और बी०साईड माँ दुर्गा मन्दिर वाया सोहन लाल के मकान एवं दिव्या कास्मेटिक शाप, श्री यादव जी के मकान तथा नियर बाई इन्टरनल लेन में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.203
	योग				380.849

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



346/4

- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुगन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक